

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो जो  
इस हुक्म की  
तामील में जारी  
किये गये

तारीख हुक्म

प्र.सं. 08 / 2025 जीसीएमएस नं. 2025 / 17  
रिछपाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआरए  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वल्द रामचन्द्र के नाम से दर्ज हुई है। ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अंकित करने में कोई भूल नहीं हुई है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में नाम रिछपाल अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत गंगूवाला जाटान, पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रिछपाल उर्फ रानियां पुत्र रामचन्द्र एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है। प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र भादरराम पुत्र रामचन्द्र, हंसराज पुत्र रामचन्द्र, पप्पूराम पुत्र रामचन्द्र के प्रस्तुत किये गये है जिनमें शपथकर्ताओं के द्वारा कथन किया गया है कि उनके भाई रानियां का सही नाम रिछपाल है।

प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि उनका सही नाम रिछपाल है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गंगूवाला एवं अन्य वारिसान पप्पूराम आदि के शपथ पत्रों द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी है कि रानियां का सही नाम रिछपाल है। जिसकी दुरुस्ती प्रार्थी करवाना चाहता है। हांलाकि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई हैं लेकिन न्यायहित में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती की जानी न्यायालय की राय में उचित है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 13 बीएलडी खाता सं. 56 में मु.नं. 32 व 22 की कुल 2.480 है. अ.क. भूमि के काश्तकार के नाम रानियां के स्थान पर रानियां उर्फ रिछपाल को दुरुस्त कर दर्ज किया जावे। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।  
निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

शकुन्तला

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीविजयनगर  
श्री विजयनगर

